

**मांग संख्या 13**  
**मुख्य शीर्ष 2401**

**मद क्रमांक 1 से 2**

अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द जिला एवं अधिनस्थ स्तर का अमला के वेतन भत्ते तथा यात्रा भत्ते हेतु राशि रूपये 844.46 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 8,44,46,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 3**

अधीक्षण (संभागीय स्तर के अमला) के वेतन भत्ते हेतु राशि रूपये 4.31 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 4,31,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 4**

मुख्यालय स्तर कार्यालय के लिये वेतन भत्ते हेतु राशि रूपये 9.90 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 9,90,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 5**

पौध संरक्षण योजना अंतर्गत वेतन भत्ते हेतु राशि रूपये 6.58 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 6,58,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 6**

वाणिज्यिक फसलों की योजना अंतर्गत वेतन भत्ते हेतु राशि रूपये 23.75 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 23,75,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 7**

सहायक यंत्री कार्यालय अंतर्गत वेतन भत्ते हेतु राशि रूपये 11.05 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 11,05,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 8**

कृषि यंत्री कार्यालय अंतर्गत वेतन भत्ते हेतु राशि रूपये 47.90 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 47,90,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 9**

डिक्रीधन के भुगतान हेतु राशि रूपये 200 लाख का आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है । इस पर रूपये 2.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रूपये 2,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 10**

कृषि यांत्रिकी संचालनालय की स्थापना अंतर्गत वेतन भत्ते हेतु राशि रूपये 484 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 4,84,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 11**

नये उद्यानों तथा पौध शालाओं की स्थापना अंतर्गत वेतन भत्ते हेतु राशि रूपये 98.81 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 98,81,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 12**

रायपुर में महिलाओं के लिये फल व सब्जी संरक्षण के प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना व्यय हेतु राशि रूपये 3.37 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 3,37,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 13**

संचालनालय उद्यानिकी के लिये वेतन भत्ते हेतु राशि रूपये 11.36 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 11,36,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 14**

उद्यान विकास योजना अंतर्गत वेतन भत्ते हेतु राशि रूपये 91.76 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 91,76,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 2402**

**मद क्रमांक 15**

भूमि संरक्षण कटावरोधक बंधान की योजना अंतर्गत वेतन भत्ते हेतु राशि रूपये 111.60 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 1,11,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।